जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023

संदर्भ: हाल ही में, लोकसभा ने जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया है।

- विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य जीवन जीने में सुगमता और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाना है।
- यह 42 केंद्रीय अधिनियमों के तहत 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त करने का प्रयास करता है जो 19 मंत्रालयों/विभागों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
- इन प्रावधानों में संशोधन करके, विधेयक का उद्देश्य कानूनी जटिलताओं के बोझ को कम करना और अधिक व्यवसाय-अनुकूल और नागरिक-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।

अपराधमुक्ति की प्रक्रिया

- कुछ प्रावधानों में अब कारावास और/या जुर्माने की सजा नहीं होगी।
- कुछ प्रावधानों में, कारावास समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि जुर्माना अभी भी लागू रहेगा।
- कुछ प्रावधानों में कारावास ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन जुर्माना बढ़ा दिया जाएगा।
- कारावास और जुर्माने को विशिष्ट प्रावधानों में दंड में बदल दिया जाएगा।
- चयनित प्रावधानों के लिए अपराधों का शमन शुरू किया जाएगा।
- प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विधेयक निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता है:
    - किए गए अपराध की गंभीरता के अनुरूप जुर्माने का व्यावहारिक संशोधन।
    - अपराधों से संबंधित कानूनी कार्यवाही को संभालने के लिए निर्णायक अधिकारियों की नियुक्ति।
    - न्यायनिर्णायक अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील को संभालने के लिए अपीलीय प्राधिकारियों की स्थापना।
    - जुर्माने और दंड की मात्रा में समय-समय पर वृद्धि।
- बिल यह भी गारंटी देता है कि सजा की डिग्री और प्रकृति अपराध की गंभीरता के अनुरूप है।

लाभ

- संशोधन विधेयक आपराधिक प्रावधानों को तर्कसंगत बनाता है, जिससे छोटी चूक के लिए कारावास का डर कम हो जाता है।
- यह कानून की कठोरता को बनाए रखते हुए दंड को अपराध की गंभीरता के अनुरूप सुनिश्चित करता है।
- प्रशासनिक न्यायनिर्णयन तंत्र से न्याय प्रणाली पर दबाव कम होगा।
- गैर-अपराधीकरण से नागरिकों और कुछ सरकारी कर्मचारियों को लाभ होता है।
- कानून विकास को बढ़ावा देता है, भविष्य के संशोधनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, और सभी हितधारकों के लिए समय और लागत कम करता है।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023

संदर्भ: हाल ही में, लोकसभा में "जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023" पेश किया गया।

- "जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023" का उद्देश्य "कश्मीरी प्रवासी" समुदाय से दो सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की विधान सभा में नामांकित करना है।
- मनोनीत सदस्यों में एक महिला होगी।
- विधेयक में "पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर" से एक सदस्य को नामांकित करने का भी प्रस्ताव है, जो 1947-48, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विस्थापित हुआ हो।
- विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य इन समुदायों के राजनीतिक अधिकारों को संरक्षित करना और उनके समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

पृष्ठभूमि

- अगस्त 2019 में संसद ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया।
- जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख (बिना विधानसभा के) में विभाजित किया गया था।
- जम्मू-कश्मीर में 2018 से केंद्रीय शासन लागू है, जिससे विधानसभा चुनाव में देरी हो रही है।
- परिसीमन आयोग को सीट आरक्षण के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
- परिसीमन आयोग ने 2019 के अधिनियम की धारा 15 में महिलाओं के लिए प्रावधान के समान, नामांकन के माध्यम से प्रतिनिधित्व की सिफारिश की है।
- जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुल सीटें 107 से बढ़कर 114 हो गईं; जिनमें पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए नौ आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज वृद्धि का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

सन्दर्भ: निर्धारित लक्ष्य से ऊपर मुद्रास्फीति को सीमित करने के लिए, अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल ही में अपनी बेंचमार्क उधार दर को वर्ष 2001 के बाद से उच्चतम स्तर तक बढ़ा दिया है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के बारे में

- फेडरल रिजर्व, जिसे फेड के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली है।
- यह देश के लिए एक सुरक्षित, लचीली और स्थिर मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली सुनिश्चित करता है।
- फेडरल रिजर्व सिस्टम में 12 क्षेत्रीय फेडरल रिजर्व बैंक शामिल हैं, प्रत्येक बैंक यू.एस. में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है।
- फेड की प्राथमिक जिम्मेदारियों में राष्ट्रीय मौद्रिक नीति का संचालन करना, बैंकों की देखरेख और विनियमन करना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना आदि शामिल है।

फेड वृद्धि का प्रभाव

- अमेरिकी फेडरल रिजर्व को दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंक का दर्जा प्राप्त है।
- जब फेड ब्याज दरों को समायोजित करता है, तो इसका प्रभाव विश्व स्तर पर महसूस किया जाता है, जिससे विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं।
- आम धारणा से पता चलता है कि उच्च अमेरिकी ब्याज दरें निवेशकों को अमेरिकी परिसंपत्तियों की ओर आकर्षित कर सकती हैं, जिससे संभावित रूप से जोखिम भरे बाजारों से पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है, विशेष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) पर निर्भर पूंजी-गहन क्षेत्रों में।
- उच्च अमेरिकी ब्याज दरों का परिणाम वैश्विक तरलता में कमी हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विदेशी निवेशकों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ जाएगी।

भारत पर प्रभाव

- यूएस फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अमेरिकी और भारतीय ब्याज दरों के बीच का अंतर कम हो गया है, जिससे मुद्रा व्यापार प्रभावित हो रहा है।
- अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी के आकर्षण के कारण विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से हट सकते हैं और अमेरिकी परिसंपत्तियों में निवेश कर सकते हैं, जिससे भारत से पूंजी का बहिर्वाह बढ़ सकता है।
- अमेरिकी ब्याज दर में बढ़ोतरी से अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है और भारतीय रुपया कमजोर होता है।
- कमजोर रुपया RBI को विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) से निकासी पर अंकुश लगाने और रुपये को स्थिर करने के लिए भारत में ब्याज दरें बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है।
- यदि रुपये में भारी गिरावट आती है, तो आरबीआई घरेलू मुद्रा को समर्थन देने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेच सकता है।

मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट

संदर्भ: भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, एक सरकारी स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग फर्म, ने हाल ही में बांग्लादेश में बिजली ग्रिड के साथ 1,320-मेगावाट मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) में 660-मेगावाट इकाई -2 का सिंक्रनाइज़ेशन हासिल किया है।

नाम: मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
स्थान:रामपाल, बांग्लादेश
क्षमता: 1,320MW कोयला आधारित बिजली स्टेशन
स्थल: पासुर नदी के तट पर 1,834 एकड़ क्षेत्र
सुंदरबन से निकटता: सुंदरबन से लगभग 14 किमी दूर
स्थिति: निर्माणाधीन

- मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी (बीआईएफपीसीएल) द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- बीआईएफपीसीएल भारत के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) की समान साझेदारी वाला एक संयुक्त उद्यम है।
- बिजली परियोजना का निर्माण अप्रैल 2017 में शुरू हुआ।
- एक बार पूरा होने पर, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बांग्लादेश के सबसे बड़े कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में शामिल हो जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, पटौखली में पायरा पावर प्लांट, जिसने जनवरी 2020 में परीक्षण उत्पादन शुरू किया, देश में एक और महत्वपूर्ण कोयला आधारित बिजली संयंत्र है।

पावर प्रोजेक्ट:

- बिजली संयंत्र में दो अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल कोयला आधारित इकाइयाँ शामिल होंगी, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 660MW होगी।
- पावर प्लांट की ऊंचाई 275 मीटर से अधिक होगी।
- इसके डिज़ाइन में ट्विन-फ़्लू स्टील-लाइन वाली प्रबलित कंक्रीट चिमनी शामिल है।
- दोनों इकाइयां उत्सर्जन को प्रबंधित करने के लिए ग्रिप गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) और ड्राई बॉटम ऐश-हैंडलिंग सिस्टम से लैस होंगी।

वित्त पोषण

- मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) बैंक से £1.3bn ($1.6bn) ऋण के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है।
- बीआईएफपीसीएल ने मार्च 2017 में परियोजना के लिए वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए EXIM बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक ऋण समझौता किया।

अनुबंधकर्ता

- बीएचईएल (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड) को जुलाई 2016 में बिजली संयंत्र के लिए £1.15 बिलियन ($1.5 बिलियन) मूल्य का इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) अनुबंध दिया गया था।
- मई 2017 में, BHEL ने परियोजना के लिए आवश्यक प्रेशर पार्ट घटकों की आपूर्ति के लिए वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी GE (जनरल इलेक्ट्रिक) को सब-कॉन्ट्रेक दिया गया।

वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023

संदर्भ: वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट को हाल ही में प्रकाशितकिया गया है ।

- वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक स्वतंत्र वार्षिक रिपोर्ट है।
- इसका प्राथमिक अधिदेश सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संबंध में शिक्षा पर प्रगति की निगरानी करना है।
- रिपोर्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा रणनीतियों के कार्यान्वयन का भी मूल्यांकन करती है।

- यह रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र में सभी संबंधित भागीदारों को उनकी प्रतिबद्धताओं के लिए जवाबदेह बनाए रखने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- "वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023" शीर्षक दिया गया है**"शिक्षा में प्रौद्योगिकी: किसकी शर्तों पर एक उपकरण"**

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- अत्यधिक स्क्रीन समय बच्चे के शैक्षिक प्रदर्शन और भावनात्मक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- यदि प्रौद्योगिकी एकीकरण से सीखने या छात्र की भलाई में सुधार नहीं होता है तो रिपोर्ट स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करती है।
- शोध से पता चलता है कि स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने से शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार होता है, खासकर कम प्रदर्शन वाले छात्रों के लिए।
- 16% देश स्पष्ट रूप से कानून द्वारा शिक्षा में डेटा गोपनीयता की गारंटी देते हैं।
- यूनेस्को की रिपोर्ट में देशों से इस बारे में सावधानी से विचार करने का आग्रह किया गया है कि स्कूलों में टैक्नॉलॉजी का प्रयोग किस तरह किया जाए।
- रिपोर्ट में मानव-केन्द्रित एक ऐसे नज़रिए की ज़रूरत को रेखांकित किया गया है, जिसमें डिजिटल टैक्नॉलॉजी, एक उपकरण के रूप में काम करे, नाकि वो ख़ुद ही प्राथमिक स्थान ले बैठे।
- यूनेस्को की इस रिपोर्ट में, डिजिटल शिक्षा द्वारा उत्पन्न, विषमताओं को भी रेखांकित किया गया है. कोविड-19 महामारी के दौरान, दुनिया भर में, लगभग 50 करोड़ बच्चे, केवल ऑनलाइन मंचों के प्रयोग की तरफ़ रुख़ बढ़ जाने के कारण, शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह गए।
- रिपोर्ट में ऑनलाइन संसाधनों में, भौगोलिक आधार पर महत्वपूर्ण असन्तुलन उजागर किए गए हैं, जिनमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका ऑनलाइन संसाधन ज़्यादा उपलब्ध रहे.
- यूनेस्को ने, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस तरह किया जाए और उसे क्या आकार दिए जाए, इस बारे में देशों से स्वयं के मानक निर्धारित करने का आग्रह किया है।
- रिपोर्ट में यह खा गया है की गई है कि प्रौद्योगिकी, निजी रूप में पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं, अध्यापक के नेतृत्व में होने वाली पढ़ाई का स्थान नहीं ले, और सभी के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा के साझे लक्ष्य को सहारा दे।

अपार सम्भावनाएँ

- यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्री अज़ूले ने आगाह करते हुए कहा है, **"डिजिटल क्रान्ति में अपार सम्भावनाएँ निहित हैं, मगर जिस तरह से समाज में इस पर क़ानूनी लगाम कसे जाने के लिए चेतावनियाँ दी गई हैं, उसी तरह से, शिक्षा में इसका प्रयोग किस तरह किया जाए, उस पर भी ध्यान दिया जाना ज़रूरी है।"**
- उन्होंने कहा, **"इसका प्रयोग, वृहद शिक्षा अनुभवों और छात्रों व अध्यापकों की बेहतरी के लिए होना चाहिए, नाकि उनके रास्तों में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए."**

NEWS IN BETWEEN THE LINES

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

सन्दर्भ: वायरल हेपेटाइटिस और इसके वैश्विक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है।

हेपेटाइटिस के बारे में:

- हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है जो विभिन्न कारकों के कारण होती है, जिसमें वायरल संक्रमण (हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई), शराब का अतिसेवन, दवाएं, ऑटोइम्यून विकार और विषाक्त पदार्थ आदि शामिल हैं।
- **लक्षण:** थकान, पीलिया (त्वचा और आंखों का पीला पड़ना), पेट में दर्द, मितली और उल्टी।
- **उद्देश्य:** हेपेटाइटिस की रोकथाम, परीक्षण और उपचार को बढ़ावा देना और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना है।
- **थीम 2023:** 'एक जीवन, एक जिगर' - हेपेटाइटिस के खिलाफ समझ बढ़ाने और कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **इतिहास**: आरम्भ में इसे 19 मई को मनाया गया था, हेपेटाइटिस बी के खोजकर्ता डॉ. बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2010 से इसे प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाने लगा।

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

28 July 2023

मेरा गाँव मेरी धरोहर

सन्दर्भ: हाल ही में भारत के गृह मंत्री (अमित शाह) ने नई दिल्ली में **आजादी का अमृत महोत्सव** के हिस्से के रूप में "मेरा गाँव मेरी धरोहर" पहल शुरू की है।

क्या है ?

'मेरा गांव मेरी धरोहर' राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक पहल है। इसका लक्ष्य एक व्यापक आभासी मंच पर 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में भारत के 6.5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है।

उद्देश्य: यह भारत की विविध संस्कृति को प्रोत्साहन देता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है।

पहल की मुख्य बातें: कुतुब मीनार में भव्य प्रक्षेपण मानचित्रण शो की सुविधा, चयनित गांवों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन।

साझेदारी: संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए) इस परियोजना का समन्वय कर रहे हैं।

संवाद: इसमें विभिन्न गांवों के लोगों और मंत्री के बीच एक "संवाद" शामिल है।

DENV टाइप-2

सन्दर्भ: डेंगू वायरस एडीज मच्छरों द्वारा प्रसारित आर्बोवायरस हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में डेंगू बुखार का कारण बनते हैं। चार सीरोटाइप (DENV-1 से DENV-4) प्रतिरक्षा जटिलताओं और सीरोटाइप के बीच क्रॉस-प्रोटेक्शन की कमी के कारण टीके के विकास को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं।

DENV-2 (डेंगू वायरस सीरोटाइप 2):

- DENV-2 डेंगू वायरस के चार सीरोटाइप में से एक है, एक मच्छर जनित आरएनए वायरस जो मनुष्यों में डेंगू बुखार का कारण बनता है।
- यह मुख्य रूप से एडीज मच्छरों द्वारा फैलता है और दुनिया भर में डेंगू-स्थानिक क्षेत्रों में व्यापक रूप से वितरित होता है।
- DENV टाइप-2 डेंगू वायरस के प्रकारों में से एक है, जो डेंगू रोग का कारण बनता है।
- इसमें रक्तस्रावी बुखार पैदा करने की प्रवृत्ति होती है और इससे बहु-अंग विफलता हो सकती है।
- DENV टाइप-2 वाले मरीजों में डेंगू शॉक सिंड्रोम विकसित होने का खतरा अधिक होता है।
- दिल्ली में सामने आए DENV टाइप-2 के ज्यादातर मामलों में हल्के लक्षण पाए गए हैं।
- डॉ. रोमेल टिक्कू और डॉ. सुरनजीत चटर्जी जैसे स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर DENV टाइप-2 के कारण होने वाले डेंगू के मामलों के निदान और प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सिल्वोपास्चर

सिल्वोपास्चर एक ही भूमि पर वृक्ष ,पशुधन और चारे के उत्पादन को एकीकृत करने की एक प्राचीन प्रथा है। यह वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण का समाधान प्रदान करता है।

सिल्वोपास्चर प्रणाली के लाभ:

जलवायु बफर: सिल्वोपास्चर प्रणालियाँ पशुधन के लिए अत्यधिक तापमान और हवा के विरुद्ध बफर के रूप में कार्य करती हैं।

कार्बन सिंक: सिल्वोपास्चर भूमि में पेड़ काफी अधिक कार्बन सोखते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिलती है।

पोषक तत्वो का आवर्तन: पेड़ों की जड़ प्रणालियां पोषक तत्वों के चक्रण, मिट्टी की स्थिरता और कटाव से निपटने में सुधार करती हैं।

वनों की कटाई की प्रवृति में परिवर्तित : चारागाह भूमि के लिए वनों की कटाई की प्रवृत्ति को परिवर्तित करने में सिल्वोपास्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

पोषक तत्वो का आवर्तन:

- पोषक तत्व चक्रण में जीवित जीवों और निर्जीव पर्यावरण के बीच ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण शामिल है।
- सिल्वोपास्चर प्रणालियों में, मिट्टी, पौधों और जानवरों के बीच पोषक तत्वों का आदान-प्रदान होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में योगदान देता है।

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 क्या है?

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 मौजूदा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए भारतीय संसद में पेश किया गया एक विधायी प्रस्ताव है। इस विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य फिल्म चोरी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को संबोधित करना और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) की प्रक्रिया में बदलाव करना है।।

पायरेसी के लिए सज़ा: विधेयक में फिल्मों की पायरेटेड प्रतियां बनाने पर तीन साल की जेल की सजा और फिल्म की उत्पादन लागत का 5% तक जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।

नई प्रमाणन श्रेणियाँ: बिल 'यूए' श्रेणी के तहत तीन प्रमाणपत्र पेश करता है: यूए 7+, यूए 13+, और यूए 16+, जो निर्दिष्ट आयु से कम उम्र के बच्चों को माता-पिता के मार्गदर्शन के साथ फिल्मों तक पहुंचने की अनुमति देता है।

केंद्र की कोई पुनरीक्षण शक्तियाँ नहीं: विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास सीबीएफसी द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर कोई पुनरीक्षण शक्ति नहीं होगी।

सीबीएफसी को सशक्त बनाना: विधेयक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को अधिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे वह टेलीविजन या अन्य मीडिया प्लेटफार्मों पर फिल्म के प्रदर्शन के लिए अलग प्रमाणपत्र जारी करने में सक्षम हो जाता है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

समाचार में स्थान **नियामे**	**सन्दर्भ :**नाइजर में तख्तापलट के समर्थकों ने नियामे में सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यालय में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। सेना कमान ने राष्ट्रपति गार्ड के सैनिकों द्वारा किए गए अधिग्रहण के लिए अपना समर्थन घोषित किया है। **भौगोलिक स्थिति:** नियामे पश्चिम अफ्रीका में स्थित भूमि से घिरे देश नाइजर की राजधानी है। यह नाइजर नदी के किनारे स्थित है, जो शहर की अर्थव्यवस्था और परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। **महत्त्व:** नियामे नाइजर के राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह देश का सबसे बड़ा शहर और विभिन्न गतिविधियों का केंद्र है। **अर्थव्यवस्था:** नियामे की अर्थव्यवस्था व्यापार, कृषि और शिल्प से संचालित होती है। यह क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन और वाणिज्यिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। **स्थलचिह्न:** नियामे में उल्लेखनीय स्थलों में ग्रैंड मस्जिद, नाइजर राष्ट्रीय संग्रहालय और नियामे ग्रैंड मार्केट शामिल हैं। **क्षेत्र में असुरक्षा:** 2021 में राष्ट्रपति मोहम्मद बज़ौम के चुनाव के बाद से, साहेल क्षेत्र को जिहादी विद्रोह का सामना करना पड़ा है, जिससे नाइजर, माली और पड़ोसी देशों में असुरक्षा पैदा हो गई है। **अंतर्राष्ट्रीय निंदा:** नाइजर में तख्तापलट की अफ्रीकी संघ, इकोवास और जर्मनी ने निंदा की।